ग्राम पंचायत जुगाह्ण, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय, लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जुगाह्ण, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति चंचला देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति धर्मी देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चंद	01.04.14 से 02.12.16
2	श्रीमति नर्वदा देवी	03.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जुगाह्ण, विकास खण्ड सुन्दरनगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर	0.48
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.28
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	24.10
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.29
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	0.48
6	9	सोलर स्ट्रीट लाइटस के क्रय में अनियमितताएँ	4.28
7	10	निर्माण कार्यों में परिमापित राशि से अधिक भुगतान	0.12

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जुगाहण, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री संतोष कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.18 से 28.02.18 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	09/2014	08/2014
2015-16	03/2016	03/2016
2016-17	03/2017	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत जुगाहण, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 28. .02.18 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत जुगाहण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत जुगाहण, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	440368	87362	527730	18868	508862
2015-16	508862	79270	588132	25773	562359
2016-17	562359	119205	681564	30146	651418

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत जुगाहण, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	1634755.50	1413810	3048565.50	1694890	1353675.50
2015-16	1353675.50	1458373	2812048.50	854189	1957859.50
2016-17	1957859.50	1744349.72	3702209.22	1292665	2409544.22

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹651418

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹2409544.22

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹3060962.22
दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3187447.22
(संलग्न विवरण **परिशिष्ट-3)**
दिनांक 23.11.16 को बैंक में जमा अनुदान राशि : (+)₹20000
जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टी नही की गयी
दिनांक 24.12.16 को बैंक में जमा ब्याज : (+)₹659
जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टी नही की गयी
दिनांक 31-03-17 को uncashed cheque : (+)₹58520
(सलंग्न विवरण **परिशिष्ट संख्या-2)**
दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : (-) ₹778
असमायोजित राशि (**अन्तर) ₹48084**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.48 लाख का अन्तर: –

ग्राम पंचायत जुगाहृण की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों के शेष तथा रोकड़ बहियों के अंत शेष में ₹48084 का अंतर पाया गया अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं-02 दिनांक 27.02.2018 द्वारा सचिव को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया| अत: बैंक खातों का रोकड़ बहियों से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये|

5 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर में वसूली हेतु ₹28140 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरण के **(परिशिष्ट–4)** अनुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹28140 की वसूली शेष थी।

गृह कर :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष की मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2014-15	7670	6820	14490	-	14490
2015-16	14490	6790	21280	-	21280
2016-17	21280	6860	28140	-	28140

6 अनुदान ₹24.10 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2409544 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.29 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹128685 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹0.48 लाख की क्रय मदों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई **मदों** के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत ₹48462 की क्रय की गई **मदों** का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/ स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई **मदों** का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 ₹4.28 लाख की सोलर स्ट्रीट लाइटस के क्रय में अनियमितताएँ:

पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 37 माह 12/2016 के अंतर्गत 9 वाट की 24 सोलर लाइट्स मेसर्स एक्सपर्ट मार्किटिंग सलूशन लूणापानी से बिल सं 92 दिनांक 13.12.16 से ₹17000 (+5%वैट) की दर से न्यूनतम भाव दरों पर क्रय की गई| इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) सरकार द्वारा सोलर लाइट्स, सप्लाई करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19.11.16 को दैनिक समाचार पत्रों, हिंदुस्तान टाइम्स तथा हिमाचल दस्तक में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102(1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज(साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था।

(3) तकनीकी तथा जटिल(complex) क्रय होने के कारण नियम 102(5)(a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये।

(4) नियम 105 के अनुसार आपूर्तिकार संस्था से maintenance contract नहीं किया गया।

(5) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/राशि का 2 से 5 प्रतिशत earnest money प्राप्त नहीं किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस क्रय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों में परिमापित राशि से ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान :-

चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में मंनरेगा अनुदान से करवाए गये कार्यों में माप पुस्तिकायों के अनुसार परिमापित कार्य से अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाये। किए गये भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है।

मस्ट्रोल सं.	कार्य का नाम	परिमाप राशि (Assessment Value)	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान	माप पुस्तिका /पृष्ठ
11355	जरल में नाले का कार्य	19043	23800	4757	8095/ 26-27
11358	वार्ड सं- 5 में सिंचाई कूल्ह का कार्य	16548	23800	7252	8095/ 24-25
			कुल योग	**₹12009**	

11 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

12 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखा**व** किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखा**व** नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखा**व** किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

6. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 59/2018 खण्ड–1–4169–4172 दिनांक07.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत जुगाहण, विकास खण्ड सुन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दर नगर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046